an>

Title: Need to provide details of utilization of Member of Parliament Local Area Development Scheme fund released for development works in respective parliamentary constituencies.

श्री डी.एस. राठौड़ (साबरकांठा) ः सांसद फंड (एम.पी.लैड फंड) के लिए हर साल सरकार द्वारा पांच करोड़ रूपए दिये जाते हैं जिसके लिए समग्र कार्यवाही जिला कलक्टर की अध्यक्षता में होती है एवं इम्पलमेंटेशन उन्हीं के द्वारा होता है।

लोक सभा सांसद के रूप में संसद सदस्य द्वारा जरूरत के हिसाब से नागरिक सेवा के लिए सांसद निधि फंड जिला आयोजन अधिकारी कार्यालय को दिया जाता है, जिसे ऑथोरिटी द्वारा समयबद्ध सरकारी प्रक्रिया अनुसार पूरा करना जरूरी होता है। यह कार्य जिला पंचायत फिर वहां से तालुका पंचायत और ग्राम पंचायत तक उसका कार्य क्षेत्र रहता है, लेकिन यह कार्य यदि ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण नहीं होता है तो समग्र फंड का ऑडिट कलेक्टर कचेरी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सांसद निधि की दूसरी किस्त रिलीज नहीं हो पाती है। ऑडिट न होने के कारण, नई ग्रान्ट न मिलने के नियम की वजह से डेवलपमेंट कार्य रूक जाता है और जनता में भी इसका निगेटिव मैसेज जाता है।

मेरी सरकार से विनती है कि जितनी ग्रान्ट का हिसाब नहीं आया होता है उतनी ग्रान्ट रिलीज नहीं करके बाकी ग्रान्ट यानि जिसका हिसाब ऑडिटेबल है उतनी ग्रान्ट रिलीज करें तो समाज को फायदा मिलेगा।

मेरी संबंधित मंत्रालय से मांग है कि हर महीने हमारे द्वारा नागरिक सेवा के लिए दी गई राशि का पूरा ब्यौरा दिया जाए और ऑडिट में विलंब करने के लिए जो जिम्मेदार हैं उस पर कड़ी कार्यवाही हो। समग्र सांसद विकास निधि प्रक्रिया को सरल बनाया जाये।